उत्तर प्रदेश सूचना आयोग
7 / 7 / ए, RTI भवन, विभूती खंड गोमती नगर लखनऊ

नोटिस संख्या :202507S01N100084 नोटिस प्रारूप - १ दिनांक : 14/07/2025

केस संख्या :S01/A/0526/2025 पंजीकृत संख्या : A-20250700139

वादी		विपक्षी
योगी एमपी सिंह पिता /पति का नाम : राजेंद्र प्रताप सिंह पता- सुरेकापुरम कॉलोनी जबलपुर रोड मिर्जापुर सिटी जनपद-मिर्जापुर पिनकोड-231001 मोबाइल नंबर : 7379105911 इ.यू संख्या :EUIN	बनाम	(1)-जन सूचना अधिकारी पता: जनसूचना अधिकारी कार्यालय - वन एवं वन्यजीव, जनपद गोरखपुर मोबाइल नंबर-:9554418388 इ.यू संख्या :EUIN (2)-प्रथम अपीलिय अधिकारी पता: प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कार्यालय - वन एवं वन्यजीव, जनपद गोरखपुर मोबाइल नंबर : 9454412068 इ.यू संख्या :EUIN

सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि : 24/07/2025 **समय : 10:30 :AM**

सेवा मे,

जन सूचना अधिकारी / प्रथम अपीलिय अधिकारी
कार्यालय -: पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

चूँकि उपर्युक्त योगी एमपी सिंह द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम २००५ के तहत द्वितीय अपील दिनांक 02/07/2025 को प्रस्तुत की गई है ,और उसे इस आयोग में पंजीकृत कर लिया गया है ,तथा उस पर अग्रेतर सुनवाई दिनांक 24/07/2025 को समय 10:30 बजे की जाएगी।

अतएव उपर्युक्त पंजीकरण संख्या :A-20250700139 की एक प्रति संलग्न करते हुए आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप अपना लिखित कथन (ईमेल-hearingcourts1.upic@up.gov.in अथवा विभागीय पोर्टल- https://upsic.up.gov.in/) पर स्कैन करते हुए पी0डी0एफ0 के फॅारमेट में मा0 राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, सुनवाई कक्ष संख्या एस-1 के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित दिनांक से दो दिन पूर्व प्रेषित करें। आपसे अपेक्षा की जाती है कि कोई भी पत्र आयोग के समक्ष भैतिक रूप से न प्रेषित करें। अग्रेतर आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप उपर्युक्त लिखित कथन की एक प्रति अपीलकर्ता को ईमेल के माध्यम से और यदि ईमेल सम्भव न हो तो अपीलकर्ता को व्हाट्सप/भैतिक प्रतिलिपि के रूप में प्रेषित करते हुए आयोग के समक्ष नियत दिनांक में स्वयं या प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

कृते पीठासीन अधिकारी
डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित
ARTI YADAV#7C571087B1
सुनवाई कक्ष. एस-1
उत्तर प्रदेश सूचना आयोग

संल्गन : (1)-अधिनियम के तहत अपील दिनांक 06/04/2025 की प्रति।
(2)-अधिनियम की धारा (6)(1) के तहत प्रस्तुत मूल आवेदन दिनांक 12/02/2025 ।

प्रतिलिपि :-
अपीलकर्ता को इस आशय से प्रेषित कि वह उपर्युक्त नियत तिथि पर स्वंम अथवा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होना चाहे। अपीलकर्ता से यह भी अपेक्षा है की यदि विपक्षी द्वारा उन्हें लिखित कथन उपलब्ध कराया गया है ,यदि उस लिखित कथन पर यदि कोई आपत्ति हो तो नियत दिनांक तक आयोग को प्रस्तुत करे।

नोट -: इस द्वितीय अपील अद्यावधिक स्थिति आयोग की वेबसाइट www.upsic.up.gov.in पर उपलबध है जिसे केस की पंजीकरण संख्या का प्रयोग करके देखा जा सकता है।

2

ई–मेल द्वारा मे

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर

पत्रांक 257 /16एफ16ए(सूचना अधिकार) दिनांक, गोरखपुर, जुलाई 22/2025

सेवा में,

Shri yogi M P Singh
Add: Mohalla Surekhapuram Jabalpur Road Mirzapur
Pin 231001State Uttar Pradesh M0b 7379105911

विषय– जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में ।

संदर्भ– मा0 उत्तर प्रदेश राज्य सूचना आयोग गोमतीनगर लखनऊ के समक्ष आप द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील दिनांक 05.07.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण मे अवगत कराना है कि मा0 राज्य सूचना आयोग 7/7/ए आर0टी0 भवन विभूति खण्ड लखनऊ नोटिस संख्या 202506509N100261 दिनांक 20.06.2025 के कम में आपको मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर के पत्रांक 29/16एफ16ए दिनांक 04.07.2025 द्वारा सूचना आपको आपके ई–मेल आई0डी0 yogimpsingh@gmail.com के माध्यम से भेजा जा चुका है, जो कि निम्नानुसार है:–

1– आप द्वारा मांगी गयी सूचना प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर के कार्यालय में संधारित नहीं हे। आपने पूरे वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारियों जिन्हें रेंज चार्ज नहीं दिया गया है कि सूचना चाही गयी है। यह सूचना प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

2– इस बिन्दु में चाही गयी सूचना सूचना के अधिकार 2005 के तहत उत्तर प्रदेश शासन प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 के अधिसूचना संख्या 544/43–2–2015–सु0अ0नि0 2015(1)2015 दिनांक 03.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रख्यापित है। उक्त नियमावली के नियम 2(ख) (4) के अनुसार किसी कार्य के किये जाने अथवा न किये जाने के औचित्य की मांग का उत्तर दिया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए । आपने सूचना के अधिकार अधिनियम 200 के 1(d) of section 4 का उल्लेख करते हुए श्री जगदम्बा पाठक डिप्टी रेंजर को रेंज प्रभार में रखे जाने का कारण जानना चाहा है। आप अवगत हों कि श्री जगदम्बा पाठक डिप्टी रेंजर के रेंज प्रभार दिये दिये का आदेश इस कार्यालय से जारी नहीं किया गया है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम 200 के 1(d) of section 4 में प्राविधानित है कि " प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या अर्ध–न्यायिक निर्णयों के कारण बताना है। डिप्टी रेंजर को रेंज प्रभार में रखे जाने का कारण उक्त नियमों के अन्तर्गत बताना सूचना के अधिकार अधिनियम में प्राविधानित नहीं है।

3– रेंजर का स्थानान्तरण एवं तैनाती उत्तर प्रदेश शासन वन अनुभाग–1 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के स्तर से की जाती है।

4– क्षेत्रीय वन अधिकारियों का मासिक परिलेख प्रतिमाह भेजा जाता है।

5– रेंजर के प्रदेश में कुल स्वीकृत पद की सूचना इस कार्यालय में संधारित नहीं होती है। इस सूचना की मांग प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ कार्यालय से की जा सकती है।

6– रेंजर को रेंज चार्ज में तैनात करने का कार्य इस कार्यालय से नहीं किया जाता है। आप द्वारा चाही गयी सूचना सूचना के अधिकार 2005 के तहत उत्तर प्रदेश शासन प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 के अधिसूचना संख्या 544/43–2–2015–सु0अ0नि0 2015(1)2015 दिनांक 03.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रख्यापित है। उक्त नियमावली के नियम 2(ख) (4) के अनुसार किसी कार्य के किये जाने अथवा न किये जाने के औचित्य की मांग का उत्तर दिया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए ।

उक्त सूचना भेजे जाने के उपरान्त भी आपने माननीय राज्य सूचना आयोग के समक्ष ई–मेल द्वारा दिनांक 05.07.2025 को कतिपय आपत्तियां की गयी है । आप द्वारा की गयी आपत्तियों का समाधान निम्नानुसार है:–

Sought information-1

आप द्वारा पुनः श्री जगदम्बा पाठक उप क्षेत्रीय वन अधिकारी को बांकी रेंज प्रभार में रखे जाने का औचत्य स्पष्ट करने की अपेक्षा की गयी है जबकि आपको पूर्व में ही अवगत कराया जा चुका है कि रेंजर का स्थानान्तरण एवं तैनाती उत्तर प्रदेश शासन वन अनुभाग–1 एवं प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष के स्तर से की जाती है।सूचना के अधिकार 2005 के तहत उत्तर प्रदेश शासन प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 के अधिसूचना संख्या 544/43–2–2015–सु0अ0नि0 2015(1)2015 दिनांक 03.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रख्यापित है। उक्त नियमावली के नियम 2(ख) (4) के अनुसार किसी कार्य के किये जाने अथवा न किये जाने के औचित्य की मांग का उत्तर दिया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए ।

आप द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर द्वारा सूचना दिये जाने में Criptically denied किये जाने का उल्लेख किया है, जबकि आपका कथन सही नहीं है। प्रभागीय वनाधिकारी गोरखपुर के कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख जो आप द्वारा मांगा जायेगा उसे अवश्य दिया जाता रहा है एवं भविष्य में भी दिया जायेगा ।

Sought information-2

आपको पूर्व में अवगत कराया जा चुका है कि उत्तर प्रदेश शासन प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 के अधिसूचना संख्या 544/43–2–2015–सु0अ0नि0 2015(1)2015 दिनांक 03.12.2015 द्वारा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रख्यापित है। उक्त नियमावली के नियम 2(ख) (4) के अनुसार किसी कार्य के किये जाने अथवा न किये जाने के औचित्य की मांग का उत्तर दिया जाना अन्तर्ग्रस्त नहीं होना चाहिए । आप ने आपत्ति करते हुए सूचना के अधिकार अधिनियम 200 के 1(d) of section 4 का उल्लेख करते हुए श्री जगदम्बा पाठक डिप्टी रेंजर को रेंज प्रभार में रखे जाने का कारण जानना चाहा है। आप अवगत हों कि श्री जगदम्बा पाठक डिप्टी रेंजर के रेंज प्रभार दिये दिये का आदेश इस कार्यालय से जारी नहीं किया गया है तथा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के 1(d) of section 4 में प्राविधानित है कि " प्रभावित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या अर्ध–न्यायिक निर्णयों के कारण बताना है। डिप्टी रेंजर को रेंज प्रभार में रखे जाने का कारण उक्त नियमों के अन्तर्गत बताना सूचना के अधिकार अधिनियम में प्राविधानित नहीं है।

Sought information-3

आप द्वारा श्री जगदम्बा पाठक उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के पोस्टिंग के सम्बन्ध में वार्षिक स्थानान्तरण नीति के उल्लंघन करने की अपत्ति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आवेदक को बार बार सूचित किया गया है कि क्षेत्रीय वन अधिकारी का स्थानान्तरण प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से नहीं होता है बल्कि शासन से स्थानान्तरण/रेंज तैनाती की जाती है।

Sought information-4

आप द्वारा इस बिन्दु में श्री जगदम्बा पाठक उप क्षेत्रीय वन अधिकारी के रेंज प्रभार को अनियमित बताते हुए कारण स्पष्ट करने की अपेक्षा पुनः की गयी है, जो कि उपरोक्त बिन्दु में स्पष्ट किया जा चुका है।

Sought information-5

आप द्वारा इस बिन्दु में कोई सूचना/अभिलेख नहीं मांगा गया है, बल्कि स्थानीय कार्यालय का तात्पर्य जानना चाहा गया है। स्थानीय कार्यालय का तात्पर्य सूचना देने वाले कार्यालय से है।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग गोरखपुर ।

संख्या–257/समदिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनरर्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– पीठासीन अधिकारी मा0 उत्तर प्रदेश सूचना आयोग कक्ष संख्या–9 उ0प्र0 लखनऊ को ई–मेल hearingcourts9.upic@up.gov.in द्वारा सूचनार्थ प्रेषित ।

2– जनसूचना अधिकारी कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0 लखनऊ ।

3– मुख्य वन संरक्षक गोरखपुर मण्डल गोरखपुर ।

(विकास यादव)
प्रभागीय वनाधिकारी
गोरखपुर वन प्रभाग गोरखपुर ।